न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—177/2018/223 (2018/00177)

1. आनन्दसिंह पुत्र हीरासिंह, जाति रावत,
2. पूरणसिंह पुत्र हीरासिंह, जाति रावत,
   बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 हीरासिंह वल्द बीरदासिंह, जाति रावत व स्व0 श्रीमती कंवरी जोजे हीरासिंह, निवासी अतीतमण्डल, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. सोहनसिंह वल्द हीरासिंह, जाति रावत,
2. प्रेमसिंह वल्द हीरासिंह, जाति रावत,
3. मिठुसिंह वल्द हीरासिंह, जाति रावत,
   बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 हीरासिंह वल्द बीरदासिंह व स्व0 श्रीमती कंवरी जोजे हीरासिंह, जाति रावत, निवासी? अतीतमण्ड, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती कैली बेवा किशनसिंह वल्द हीरासिंह, जाति रावत,
5. नंदा वल्द किशनसिंह, जाति रावत,
6. नाथू वल्द किशनसिंह, जाति रावत (मृतक) जरिये वारिसानः—
   6/1— श्रीमती भोली पत्नि स्व0 नाथू, जाति रावत,
   6/2— श्रीमती बरजी पत्नि स्व0 नाथू
   6/3— अर्जुनसिंह वल्द स्व0 नाथू,
   6/4— अशोक वल्द स्व0 नाथू,
   6/5— अजय वल्द स्व0 नाथू,
   6/6— शान्ति पुत्री स्व0 नाथू,
   6/7— माया पुत्री स्व0 नाथू,
   6/8— पुष्पा पुत्री स्व0 नाथू,
   समस्त जाति रावत, निवासी नून्द्री मेन्द्रातान, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर।
7. घीसी पुत्री किशनसिंह, जाति रावत, निवासी नून्द्री मेन्द्रातान, तह.ब्यावर जिला अजमेर बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 किशनसिंह वल्द हीरासिंह एवं स्व0 हीरासिंह वल्द बीरदासिंह व स्व0 श्रीमती कंवरी जोजे हीरासिंह, जाति रावत, निवासी अतीतमण्डल, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
8. श्रीमती बसन्ती पुत्री हीरासिंह, जाति रावत, पत्नि जयसिंह, निवासी नरबदखेड़ा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक, तहसीलदार, ब्यावर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, ब्यावर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 26.5.2016 अंतर्गत वाद संख्या 96/2010.

उपस्थितः—

1. श्री नीलमसिंह कोठारी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अशोक नाथ, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 8.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 9 व 10.

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 26.5.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में एक वाद वास्ते घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती धारा 88, 91, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 व धारा 136 राज0भू—राजस्व अधि0 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वाकै ग्राम गोहाना, तहसील ब्यावर में खसरा नंबर 2066 रकबा 1—3—10, खसरा नंबर 2083 रकबा 1—7—00, खसरा नंबर 2082 रकबा 0—19—10 एवं खसरा नंबर 2081 रकबा 1—04—00 बीघा भूमि अवस्थित है । वादीगण ने वादपत्र में हीरासिंह रावत का सजरा अंकित कर कथन किया कि वादपत्र की पद संख्या 1—क में वर्णित वादग्रस्त आराजियात के खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पूर्वज हीरासिंह वल्द बिरदासिंह, जाति रावत निवासी अतीतमण्ड थे एवं पद संख्या 1—ख में वर्णित आराजियात के खातेदार काश्तकार कंवरी पत्नि हीरासिंह थी व उन्हीं का नाम राजस्व अभिलेख मं अंकित था । हीरासिंह वल्द बिरदासिंह व श्रीमती कंवरी पत्नि हीरासिंह के जीवनकाल तक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के साथ कब्जा काश्त रहा व उनके स्वर्गवास के पश्चात् संपूर्ण वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं भगवानसिंह, किशनसिंह की मृत्यु हीरासिंह व कंवरी के जीवनकाल में हो गई थी । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने गलत व गैर कानूनी रूप से राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगती कर संपूर्ण वादग्रस्त आराजी बाबत् राजस्व अभिलेखों में अपने नाम अंकित करवा ली व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 से 8 का नाम अंकित नहीं करवाया जबकि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने के कारण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का कब्जा संयुक्त रूप से चला आ रहा है । अधी0न्याया0 ने यह निवेदन किया कि न्यायहित ममें यह घोषित किया जावे कि वादीगण स्व0 हीरासिंह वल्द बिरदासिंह व स्व0 श्रीमती कंवरी जोजे हीरासिंह के वारिसान होने व काबिज काश्त होने के कारण वादग्रस्त आराजियात के खातेदार काश्तकार है व नामांतकरण संख्या 897 दिनांक 20.10.2005 अपूर्ण होने से अवैध है व यह भी घोषित किया जावे कि वादग्रस्त आराजियात में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 से 8, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व अभिलेखों में अंकित करवाने के अधिकारी है । साथ ही यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी अथवा किसी भाग को किसी को भी अन्तरित नहीं करे व न ही करावे व न ही वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करे । वाद प्रस्तुति के उपरांत प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये व प्रतिवाद पत्र मय काउन्टर क्लेम

पेश किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.2016 द्वारा अपीलांटस/वादीगण का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली तकाया पक्षकारान की तामील व जवाब काउन्टर क्लेम में चल रही थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने काउन्टर क्लेम का जवाब लिये बिना व तामील पूर्ण कराये बिना जल्दबाजी में अपीलांटस को कैम्प कोर्ट में सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बिना केवल मात्र राजस्व कैम्पों में निर्णित मुकदमों की संख्या बढ़ाने की नियत से वाद को निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । राजस्व कैम्प में केवल मात्र लोक अदालत की भावना से वे ही प्रकरण तय किये जा सकते है जो कि आपसी सुलहनामा अथवा पक्षकारान की सहमती हो । राजस्व कैम्प में न तो तनकियात कायम की जाती है एवं न ही साक्ष्य ली जाती है एवं न ही बहस सुनी जाती है । अधी0न्याया0 ने लोक अदालत की भावना के विपरीत प्रकरण को कैम्प गोहाना में बिना वादीगण अथवा उसके अधिवक्ता सुने प्रकरण को निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए वादग्रस्त आराजियात बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने प्रतिवाद पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया था जिसका वादीगण को कानूनन जवाब प्रस्तुत करने का अधिकार था किन्तु अधी0न्याया0 ने वादीगण को काउन्टर क्लेम का जवाब प्रदान किये बिना तथा तामील पूर्ण हुए बिना वाद को निर्णित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय एवं विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वाद खारिज करने का आधार यह लिया है कि राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम अंकित नहीं है व न ही उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद साबित किया है, जबकि वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पूर्व हीरासिंह व उनकी पत्नि कंवरी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित रही है व उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण उनके उत्तराधिकारी होने के कारण उनका भी नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होना चाहिये था, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने गलत व गैर कानूनी रूप से अपने सगे भाई वादीगण/अपीलांटस का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित न करा व अधूरा व गलत सजरा पेश कर नामांतकरण संख्या 897 अपने पक्ष में तस्दीक करा लिया था। वादग्रस्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 की पुश्तैनी आराजियात होने से वादीगण का भी विवादित आराजियात में हक व अधिकार है । इसी कारण वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष यह वाद प्रस्तुत किया था जो स्वीकार योग्य था । अधी0न्याया0 ने वादीगण व उसके अधिवक्ता को समुचित सुनवाई का एवं अपना पक्ष व समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने व पेश किये गये दस्तावेजात को प्रमाणित कराने का अवसर न देकर भारी भूल की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.2016 निरस्त की जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जाकर तनकियात कायम किये जाने व समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण तामीली एवं जवाब काउन्टर क्लेम विचाराधीन था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रकरण को कैम्प में रखकर अपीलांटस एवं उनके अधिवक्ता को सूचित किये बिना तथा बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये वाद को निर्णित किया है जिससे अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी थी । कानूनन प्रकरण का निर्णय मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर ही किया जाना चाहिये । अपीलांटस ने निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 8 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । बहस में कथन किया कि अपीलांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष स्वच्छ हाथों से वाद प्रस्तुत नहीं किया था । प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अधी0न्याया0 के समक्ष काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया था वादीगण द्वारा प्रस्तुत सजरा गलत है । स्व0 हीरासिंह पुत्र बिरदासिंह के पत्निया थी । पहली पत्नि से तीन संताने हुई थी जो क्रमशः किशनसिंह, छोटा व बसंती देवी थे । पहली पत्नि हंजा की मृत्यु हो जाने के पश्चात् हीरासिंह ने कंवरीदेवी के साथ विवाद कर लिया जिससे पांच संताने क्रमश पूरणसिंह, सोहनसिंह, प्रेमसिंह, भगवानसिंह एवं मिठुसिंह हुए । वादपत्र की पद संख्या 1 में वर्णित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से आई थी तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की माता का देहांत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उसके उत्तराधिकारी हो गये थे तथा वर्तमान में विवादित आराजियात उनके कब्जे काश्त में चली आ रही है। बहस में आगे कथन किया कि हीरासिंह ने पहली पत्नि से उत्पन्न संतानें का विवाह कर दिया तथा उन्हें जमीन जायदाद दिला दी थी जो अपनी–अपनी आराजियात पर काबिज होकर काश्त कर रहे है । वादीगण ने उपरोक्त तथ्य छिपाकर वाद प्रस्तुत किया है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पत्र पत्रावली का अवलोकन किया गया । विद्वान वकील अपीलांटस का मुख्य कथन रहा है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा उपस्थित होकर प्रतिवादपत्र मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया । तत्पश्चात् पत्रावली जवाब काउन्टर क्लेम एवं शेष प्रतिवादीगण की तामील में चल रही थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को जवाब काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना तथा शेष पक्षकारान की तामील पूर्ण हुए बिना प्रकरण को कैम्प में रखकर अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण को सरसरी तौर पर निर्णित किया है । इस संबधं में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि

वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3/प्रतिवादीगण अधी0न्याया0 के जरिये अधिवक्ता उपस्थित जिन्होनें अपना जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया । तत्पश्चात् पत्रावली वास्ते जवाब काउन्टर क्लेम एवं शेष पक्षकारान की तामील हेतु नियत की गई है । इसके उपरांत अधी0न्याया0 ने प्रकरण को कैम्प गोहाना में रखकर काउन्टर क्लेम का जवाब प्राप्त किये बिना तथा शेष पक्षकारान की तामीली पूर्ण कराये बिना प्रकरण को कैम्प में रखकर अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण को खारिज किया है । जो निश्चित रूप से विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन होकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध है । हम विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस के इस तर्क से भी सहमत है कि कैम्प कोर्ट में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिनमें पक्षकारान में आपसी सहमति अथवा राजीनामा हो गया हो किन्तु हस्गत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा अथवा सहमति संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अधी0न्याया0 को चाहिये था कि प्रकरण में वादीगण/अपीलांटस को काउन्टर क्लेम का जवाब का अवसर प्रदान कर तथा शेष पक्षकारान की तामील पूर्ण होने पर जवाब प्राप्त कर वाद में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम करते तथा उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करते किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रकरण को कैम्प में रखकर केवल मात्र सरसरी तौर निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.5.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस के क्रम में अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे वादीगण/अपीलांटस से काउन्टर का जवाब प्राप्त कर, शेष पक्षकारान की तामील कराकर वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर